



1200

1182

5000Rs



Beronica Khariain



बेरोनिका खरियाइन
 का उद्देश्य महती
 ता 0 22/12/10

... 1908 की धार
 ... 1920...
 ... 1899 की ...
 ... 126/2010-11

With the permission
 by S.D.O. Simdega vide
 order dated
 12-10-10

msay
 22-12-10

लेख्यकारणी:- बेरोनिका खरियाइन पति स्व० रेमन
 खरिया, जाति- खरिया, पेशा- छेती गृहस्थी, निवास
 ग्राम- सलडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।
 बिकेता ।

शापथ-पत्र संख्या:- 791 / 2010

राजेश कुमार
 पिता- श्री हिलारियुम केरवेष्ट
 ग्राम - कुडुडुगा
 थाना + जिला - सिमडेगा
 ता: 22/12/2010



-2-

§2§ लेख्यधारिणी:- श्रीमती जोशीफन टोप्यो पति श्री अन्धेस लकडा, जाति- उराँव, पेणा- खेती गृहस्थी, निवास ग्राम- रिगडी, धाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. कृतिका ।

शापथ-पत्र संख्या:- 792 / 2010

§3§ लेख्यपुकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा कर्त्तव्य होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबिलिग एक लाख छ्यालिस्त हजार रुपये अंके 1,46,000/- रुपये होता है ।

§5§ सम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- सलडेगा खामें, धाना- सिमडेगा, धाना नं० 117, सदर रीजिस्ट्री ऑफिस वों जिला- सिमडेगा के खाता नं० 73 इतिहासतर प्लॉट नं० 538 पाँच सौ अड़तीस रकबा 0.36 एकड़ में से 0.10 एकड़ इस विसिमिल आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- टेना खीड्या का दोन प्लॉट नं० 537,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश डाल खरीदगी,

वृषा नि० बरोनिकाखुडियाईन
जा० उडेकर महता
ता० 22/12/10

पति जोशीफन
पति अन्धेस लकडा
श्रीम. जोशीफन टोप्यो
श्रीम. अन्धेस लकडा
श्रीम. जोशीफन टोप्यो
श्रीम. अन्धेस लकडा

22.12.2010



—3—

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश रास्ता ओड़ा हुआ 12 फीट का कच्ची,
पश्चिम:- प्लॉट नं० 523 टाड़ ।
मालगुजारी 5 पैसा पाँच पैसा अलावे सेस सलाना ।

१११ चूँकि मुझ लेख्यधारिणी को नया भकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैरे सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

१२१ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर छाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेची और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

१३१ मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि वर्णित बिक्री जमीन को मैंने वजीरये दान पत्र संख्या 93/65 दिनांक 13.2.1965 ई० को

श्रीमती खुरशिका
खुशिका
बा० उदयप्रसाद
ता० 22/12/10



-3--

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश रास्ता ओड़ा हुआ 12 फीट का कच्ची,
पश्चिम:- प्लॉट नं० 523 टाड़ ।
मालगुजारी 5 पैसा पाँच पैसा अलावे सेस सलाना ।

११॥ चूँकि मुझ लेख्यधारिणी को नया भकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैरे सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया ।

१२॥ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर छाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेची और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

१३॥ मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि वर्णित बिक्री जमीन को मैंने वजीरये दान पत्र संख्या 93/65 दिनांक 13.2.1965 ई० को

श्रीमती खुरशानिका
खडियाईन
बा० उदयकांत
ता० 22/12/10



--4--

गुरु खीड़िया पिता स्व० राने खीड़िया साकिन- सलडेगा से दान में हासिल की हैं। बाइ हासिल के उक्त जमीन पर मेरा शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। वर्तमान जमाबन्दी मेरे नाम से कायम है तथा मालगुजारी की रसीद भी मेरे नाम से कटता है। जमीन पर किसी किस्म का भार, झाडा झंझट या वारंटेन नहीं है।

§4§ चूंकि एक उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य है अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया। जिसका वाद संख्या 126/2010-11 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 12.10.10 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 956§.ii§ दिनांक 12.10.2010 है।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारणी अपनी जमीन पर कावज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि पुमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

श्रीमान् खीड़िया साकिन
 खीड़िया साकिन
 बा० खीड़िया साकिन
 ना० 22/12/10



--5--

मैं लेख्यकारणी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रित जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

वैपानि० बैरोनिका खडियाईन
बा० उद्वेश्वर महता
ता० २२/१२/१०



वैपानि० बैरोनिका
खडियाईन
बा० उद्वेश्वर
महता
ता० २२/१२/१०



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारणी के वारं हवा की पांचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

Basant Kumar
Advocate
22/12/10

मैं लेख्यधारणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कूल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

Josephine Toppo
22. 12. 2010

Josephine Toppo



प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारणी के वारं हवा की पांचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

Basant Kumar
Advocate
22/12/10

50RS.



--6--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- *Basant Kumar*
प्रारूपकर्ता *Advocate*
तारीख:- 22/12/10

कानिबरीनिका
साईनाइन
बारा उदरकर गेले
ता 22/12/10



प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 596 शब्द टंकित है जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसूद
22-12-2010
मो० मकसूद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।